# To Remove Agriculture Land from Commercial/Residential Category

#### 113 Sh. PARDEEP CHAUDHRY (Kalka):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state -:

- a) whether the agriculture land of villages falling under the Municipal Corporation, Panchkula where it is less than 1 acre, has been declared as residential/commercial togetherwith whether the property tax is being collected from the farmers while making their Property ID of said land; and
- b) whether there is any proposal under consideration of the Government to categorise the said land as agriculture land after removing it from commercial/residential category; if so, the detail thereof?

#### DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

- a) No, Sir.
- b) Property Tax is not leviable on the agriculture properties irrespective of the size of the land. The agriculture land is not categorised in any other category by the Municipal Corporation.

### कृषि भूमि को वाणिज्य/आवासीय श्रेणी से हटाना

### 113 श्री प्रदीप चौधरी (कालका):

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) क्या नगर निगम, पंचकूला के अंतर्गत आने वाले गांवों की कृषि भूमि जहां 1 एकड़ से कम है, को वाणिज्यिक के रूप में घोषित किया गया है तथा क्या उक्त भूमि के संपत्ति पहचान पत्र / कार्ड बनाते समय किसानों से संपत्ति कर एकत्रित किया जा रहा है; तथा
- (ख) क्या उक्त भूमि को वाणिज्यिक / आवासीय श्रेणी से हटाने से पश्चात कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

## डॉ० कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

- (क) नहीं, श्रीमान।
- (ख) कृषि संपत्तियों पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता है। नगर निगम द्वारा कृषि भूमि को किसी अन्य श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है।